उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन,अनुभाग-5

संख्या-14/2015/1557/ग्यारह-5-2015-218(16)/97

लखनऊ: दिनांक: 24जुलाई, 2015

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10,सन् 1897)की धारा-21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16,सन् 1908) की धारा-5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से अमेठी नामक एक नया जिला,जिसका मुख्यालय गौरीगंज होगा,सृजित करते हैं,जिसमें जिला सुल्तानपुर की वर्तमान तहसीलोंगौरीगंज,अमेठी और मुसाफिरखाना में सम्मिलित समस्त क्षेत्र और जिला रायबरेली में समाहित तहसील तिलोई (तीन राजस्व ग्रामों के क्षेत्र बारीगोहन्ना,कड़रिया व गंगापुर को अपवर्जित करते हुए) के क्षेत्र और तहसील महाराजगंज के नौ राजस्व ग्रामों महेशपुर,रामपुर-पवारा,सेमरौता,सतगवां,ठोकरपुर,अकबरपुरफरसी,पूरेलक्ष्मिनदेई,बसन्तपुर एवं राजापुरहलीम के क्षेत्र समाविष्ट होगे और जिला सुल्तानपुर और जिला रायबरेली की सीमाओं को, नव-सृजित जिला अमेठी में उनके क्षेत्रों को अपवर्जित करके परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निम्नलिखित की सीमाओं को -

(क) जिला रायबरेली की तहसील महराजगंज के पूर्वोक्त नौ राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को नवसृजित जिला अमेठी की तहसील तिलोई में सम्मिलित करके परिवर्तित करते हैं।

(ख) जिला रायबरेली की तहसील महराजगंज से पूर्वोक्त नौराजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करके और जिला रायबरेली की पूर्ववर्ती तहसील तिलोई के पूर्वोक्त तीन राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को सम्मिलित करके, परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में,जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है,पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-14/2015/1557(1)/ग्यारह-5-2015-218(16)/97,24जुलाई, 2015

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसे दिनांक 24 जुलाई,2015 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या:-14/2015/1557(2)/ग्यारह-5-2015-218(16)/97,24 जुलाई, 2015

प्रतिलिपिनिम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0,इलाहाबाद/ लखनऊ।
5- मण्डलायुक्त, फैजाबाद/ लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6- जिलाधिकारी, रायबरेली/ सुल्तानपुर/ अमेठी।
7- अपर जिलाधिकारी (वित्त् एवं राजस्व), रायबरेली/ सुल्तानपुर/ अमेठी ।
8- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,रायबरेली/ सुल्तानपुर/ अमेठी ।
9- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
10- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 सचिवालय।
11- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan.
KaravamNibandhan Anubhag-5,

The Governor is pleased to order the publication of the fallowing English translation of notification no.14/2015/1557/gyarah-5-15-218(16)/1997 dated 24 July, 2015

NOTIFICATION

No.14/2015/1557/gyarah-5-2015-218(16)/1997
Lucknow : Dated: 24July, 2015

In exercise of the powers under section 5 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act. 1897 (Act no 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to form with effect from the date of publication of this notification in the Gazette a new district by the name of Amethi, with its headquarter at Gauriganj, comprising the entire areas included in the existing tehsils Gauriganj, Amethi and Musafirkhana of district Sultanpur and the areas of district Raebareli, comprising tehsil Tiloi (excluding three revenue villages Barigohanna, Kadariya and Gangapur) and nine revenue villages Maheshpur, Rampur Pawara, Semrauta, Satgawa, Thokarpur, Akabarpurfarsi, Purelaximandeyee, Basantpur and Rajapurhaleem of tehsil Maharajganj and to alter the limits of district Sultanpur and district Raebareli by excluding the areas thereof included in the newly created district Amethi.

The Governor is further pleased to alter the limits of :-

1. Tehsil Tiloi of newly created district Amethi by including the areas of the aforesaid nine revenue villages of tehsil Maharajganj of district Raebareli.
2. Tehsil Maharajganj of district Raebareli by excluding the areas of the aforesaid nine revenue villages and including the areas of the aforesaid three revenue villages of erstwhile tahsilTiloi of district Raebareli.

The Governor is also pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has thereto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By Order

(Anil Kumar)
Principal Secretary.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।